□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य □□ □□□□□ □□□□□ □त्रा□□
स्वास्थ्य □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□ □□□
□□□□□□□□ प्रश्न □□□□: 892
05 □□□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□
स्वास्थ्य कायकताओं को क्षतिपूति

892. श्री भतृहरि महताबः
श्र□ □□.□□.□□□□□:
श्र□ गजानन कीतिकर:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्र□ □□□□ □□□□□□□ □□□:
श्री जी. सेल्वम:
श्र□ □□□□ □□. □□□□:
श्र□ □□□□ □□□□□ □□□□:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह □□□□□□□ □□□ □□□□□□:

(□) क□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□-9 □□श्व□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ संबंध म कोई आकलन किया है, □□□ □□,□□ □□□□ ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए □□ □□□ □□□, □□ □□□□क□□ □□□□ □,

(□) □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□न □□□□□□ अस्पतालों म कायरत डॉक्टरों, □□□□□□ □न□ स□□स्□ कायकताओं की संख्या का तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित राज्य/□□ □□□क्षेत्र-□□□ □□□□ □□□□□ □□

(□) क□□ सरकार का विचार उन्हे कोई मौद्रिक □□ अन्य लाभ प्रदान करने का है और यदि हां, □□ □□□□□ □□□□□-□□□/□□□□/□□ राज्य क्षेत्र-□□□ □□□□□ क□□ □□

(□) □□ देश म अभी तक इस वैश्विक महामारी के □□□□ □□□□□□□□□□□□वरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य परिचया कायकताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-□□□ संख्या कितनी है;

(□) क□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ प्र□□□ □□□□□□□□□□□□वरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य परिचया □□□□ताओं के निकट परिजन को कोई क्ष□□□□□ प्र□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ क□□ है और यदि नहीं, □□ □□□□क□□ □□□□ □; □□

(□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□वरों, □□□ □□ □न□ स्वास्थ्य परिचया कायकताओं की सुरक्षा □□□□श्व□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ डॉक्टरों और नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए और अधिक डॉक्टरों, नर्सों की नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या □□□ □□□□ □□ □/□□□□ □□ □□□□?

<u>उत्त□</u>

<u>स्वास्थ्य □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □त्री (श्र□ □□श्व□ □□□□ □□□□)</u>

(□): □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ ब्य□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ श्रृं□□□ □□ □□□□□□ रू□ □□कायान्वयन □□□□ हु□, □□□□, □□□ □ □□□□□-19 □□□□□ प्र□□□ □□ □क्र□□□ प्र□□□ को सफलतापूवक रोकने म समथ रहा है।

□□□□□-19 □□ केंद्रित समर्पित स्वास्थ्य बु□□□□□□ □□□□□□□ □ी □□□□□ □ी □□ □□□ इन्ह मामलों म बढ़ोतरी को प्रबंधित □□□□□□□□ निधारित किया □□□□ 3 □□□□□, 2021 □ी स्थिति □□□□□□□, □□ □ 40,311 वेंटिलेटरों सहित 15,17,506 □□□□□□□ □□स्□□ □□□ 79,385 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध ह। वतमान म 1214 □□□□□□ □□ 1152 □□□□ प्र□□□□□□□□□□□□□□□□□-19 □□□श□ □□ □□□ □ (4 □□□□□, 2021 □ी स्थिति □□□□□□□)□

□□□□□□□ि□ि्क्त, □□ □□□□ □□□□□□□, कोविड से संबंधित कार्यों और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के अनुरक्षण के लिए क्षेत्रों और विभागों म कर्मियों और स्वयंसेवकों के विभिन्न □□□ों □□ □□□ □□□□□ □□□, उन्ह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय □ी □□□□□□ □□□□□□ (□□□ □□) □ी □□□□□□, □□□□□□ द्वारा आईजीओटी (ऑनलाइन प्लेटफॉम) (https://igot.gov.in/igot/) □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ों □□माध्यम से प्रशिक्षित किया गया□

इस समय देश म प्रति मिलियन मामलों तथा प्रति मिलियन मौतों की संख्या क्रमशः 7719 □□ 111 □,□□□ □□ □□□□□□ □□ों □ी स्थिति की तुलना म बहुत कम है।

□□□□□-19 □□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □□श□□ □□□□□□□ □ी □□ □□□ □□

(□): □ि□ "स्वास्थ्य" □□ज□ □□ □□□□ □□कोविड ड्यूटी के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों म नियोजित डॉक्टरों, □□ों □□ □न्□ स्वास्थ्य कमचारियों की संख्या के बारे म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कद्रीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जा□□□

(□): आशा कर्मियों को उनके द्वारा कोविड-19 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□हुए प्रतिमाह 1000 / - रुपए के अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान किया जा रहा है।

(□): □□□□□-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत राज्यों से प्राप्त □□□□ओं □□□ □□□ □□ दिनांक 02.02.2021 की स्थितिनुसार इस महामारी के □□□□ □□□□□□□□□□□□ों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की संख्या □□ □□ज□ / कद्रशासित प्रदेश-□□□ ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

(□): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (□□□□□□□□□): □□□□□-19 से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना 30.03.2020 □□ प्र□□□ □ी □□ □□, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों सहित लगभग 22.12 □□□ स्□□स्□ सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुघटना कवर उपलब्ध कराना है। इसका मसौदा □□ □□□ों □□□□ □□□□□-19 □□□□श्रित जिम्मेदारियों के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया था, □□ □□□□□-19 मरीजों की परिचया तथा उनके सीधे संपक म हो सकते ह तथा जिन्ह इससे संक्रमित होने का जोखिम हो सकता है।

(□): स्वास्थ्य परिचया कर्मियों □ □क्र□□ □□□□□□ □□ स्□□□□ □□□□□□□□ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को संक्रमण निवारण और नियंत्रण परिपाटियों के संबंध □ वि□□-□□□□ □□□□□ □□□□ □ (https://www.mohfw.gov.in/pdf//National%20Guidelines%20for%20IPC%20in%20HCF%20-

%20final%281%29.pdf □□ □□□□□)। स्वास्थ्य परिचया कर्मियों ही सभी श्रेणियों के लिए आईजीओटी प्लेटफाम पर संक्रमण निवारण और नियंत्रण के बारे म प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया था।

□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, स्वास्थ्य कर्मियों को शुरुआत म केवल एक सप्ताह के लिए □□□□□□□ □□□□ □□□□□ कराई जाती है तथा उसके बाद स्वास्थ्यकर्मी के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए और एक सप्ताह की अवधि के बारे म निणय लिया □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□-कोविड क्षेत्रों म काम करने वाले स्वास्थ्य परिचया कर्मियों के प्रबंधन के लिए 18 □□, 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी (https://www.mohfw.gov.in/pdf/updatedAdvisoryformanagingHealthcareworkersworkinginCOVIDandNonCOVIDareasofthehospital.pdf □□ □□□□□)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ □□□□□ □□□□स्वास्थ्य परिचया कर्मियों की □□□□□□□ □□□□ □□ '□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य परिचया कर्मियों के □□□□□□ के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रावधान करने के बारे म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव को भी निदेश जारी किए गए ह।

□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ (□□ □□□□ □□□ □□□□) □□□□ पीपीई के तकसंगत उपयोग पर दिशा-□□□□ □□□□ □□□ □□ □□(https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment.pdf □□ https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedAdditionalguidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipmentsettingapproachforHealthfunctionariesworkinginnonCOVID19areas.pdf □□ □□□□□)। □□ □□□□-□□□□□ □ □□□□□-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था तथा उन पीपीई के प्रकार □□ □□□□□□□ □□ □□ □□, □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ क्षेत्रों म उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य परिचया कर्मियों को प्रोफिलैक्सिस और संक्रमण की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उपलब्ध कराई गई थी। इस संबंध म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रा□□ द्वारा 23 □□□, 2020 □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ (https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedadvisoryontheuseofhydroxychloroquineasprophylaxisforSARSCOVID19infection.pdf □□ □□□□□)।

लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय सरकार के अस्पतालों को □□ □□ 1.69 □□□□ □□□□□ □□□□, 4.08 □□□□ □□ -95 □□□□, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 11.16 करोड़ गोलियों की आपूर्ति की जा □□□ □□(2 □□□□□, 2021 तक की रिपोट के अनुसार)।

□□□□□-19 □□□□□ □, 22 □□□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□□, 2020 प्रख्यापित किया गया था। इसके □□□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□, जिसे संसद द्वारा पारित करने के उपरांत 29 □□□□□, 2020 □□ अधिसूचित किया गया था। संशोधन म स्वास्थ्य परिचया सेवा कार्मिकों (□□□□□□) □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□

[illegible], डॉक्टरों [illegible] स्वास्थ्य कर्मचारियों [illegible] (... [illegible]: [illegible]-19 [illegible] स्वास्थ्य कर्मचारियों [illegible] - 02-02-21 [illegible]

[illegible]	[illegible] क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	[illegible] स्वास्थ्य [illegible]*
1	[illegible]	1	1	0
2	[illegible]	17	15	12
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	4
4	[illegible]	1	4	4
5	[illegible]	3	9	2
6	[illegible]	0	0	2
7	[illegible]	2	7	7
8	[illegible]	0	0	1
9	दिल्ली	0	7	4
10	[illegible]	0	0	0
11	[illegible]	12	9	7
12	[illegible]	2	7	2
13	[illegible]	0	1	0
14	जम्मू और कश्मीर	3	4	7
15	[illegible]	2	4	2
16	[illegible]	6	13	21
17	[illegible]	2	1	1
18	[illegible]	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	6	10	12
21	[illegible]	11	21	55
22	[illegible]	0	0	0
23	[illegible]	0	0	0
24	[illegible]	0	0	0
25	[illegible]	0	0	0
26	[illegible]	2	7	5
27	[illegible]	1	0	5
28	[illegible]	3	3	6
29	[illegible]	15	10	8
30	सिक्किम	2	0	1

31	[illegible]	7	11	8
32	[illegible]	9	6	13
33	[illegible]	0	0	0
34	[illegible]	5	18	5
35	[illegible]	0	1	1
36	[illegible]	4	5	4
[illegible]		116	174	199

* [illegible], [illegible], फामासिस्ट, [illegible], [illegible]

******